उत्तर प्रदेश शासन
सहकारिता अनुभाग-1
संख्या-2230/49-01-2019-08(35)/13
लखनऊ दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

उत्तर प्रदेश शासन, सहकारिता अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-567 /49-1-13-8(34)/13 दिनांक 04 अप्रैल, 2013 के माध्यम से उ०प्र० के जिला सहकारी बैंकों में सीबीएस प्रणाली एवं उससे सम्बन्धित समस्त सेवाओं को लागू करने हेतु उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० को इम्प्लीमेन्टिंग एजेंसी नामित करते हुए योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया गया है :-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०
2- निबन्धक द्वारा नामित अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक
3- निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ०प्र०, लखनऊ कार्यालय के वित नियन्त्रक
4- आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन से नामित दो तकनीकी विशेषज्ञ
5- उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ में कार्यरत वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी

2- उक्त गठित कमेटी के कार्यक्षेत्र (स्कोप आफ वर्क) को स्पष्ट किये जाने संबंधी कार्यालय ज्ञाप सं0-234/49-01-2019-08(35)/13 दिनोंक 28-02-2019 में आंशिक संशोधन करते हुये उक्त गठित कमेटी के कार्यक्षेत्र (स्कोप आफ वर्क) को निम्नानुसार स्पष्ट किये जाने की राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

"उक्त गठित कमेटी द्वारा उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक, प्रदेश के समस्त जिला सहकारी बैंक एवं प्रदेश के समस्त पैक्स के कम्प्यूटराईजेशन (सीबीएस एवं अन्य समस्त सहवर्ती सेवायें/समस्त सुविधाए) हेतु इम्प्लीमेन्टिंग एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए इस सम्बन्ध में निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार निविदा/ई-निविदा अथवा नोडल एजेन्सी के माध्यम से क्रय/स्थापना/आडिट/पर्यवेक्षण एवं अन्य वांछित समस्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।"

3- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 28-02-2019 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

एम०वी०एस० रामी रेड्डी,
प्रमुख सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या-2230/49-01-2019. तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन

2- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियों, उ०प्र०, लखनऊ

3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, / ग्राम विकास बैंक लि० लखनऊ

4- समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, उ०प्र० ।

5- समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, उ०प्र० ।

6- समस्त सचिव / मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि०, उ०प्र० ।

आज्ञा से.

(मो० जुनीद)
विशेष सचिव